

सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की सफ़ारिशों में कथि बदलाव

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति की 'एक राज्य-एक मत' सफ़ारिश को खारजि करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लिये नए संवधान को अंतिम रूप दथि है ।

परमुख बदि

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीसीसीआई के बड़े पदाधिकारियों के लिये वशिराम अवधि (कूलगि-ऑफ पीरयिड) में भी बदलाव कथि गया है ।
- सफ़ारिशों में शथिलिता बरतते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ लोढ़ा समिति की इस सफ़ारिश से असहमत थी कि क्रिकेट केवल तभी समृद्ध हो सकता है जब बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व हर राज्य और संघ शासति प्रदेश द्वारा कथि जाए ।
- पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने सहयोगी क्रिकेट संघों की सदस्यता को खारजि कर दथि था ।
- इसकी बजाय, न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के सभी क्रिकेट संघों की बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता बहाल कर दी । इन क्रिकेट संघों में महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र, मुंबई और वदिरभ क्रिकेट संघ और गुजरात राज्य में बड़ौदा और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ शामिल हैं ।
- न्यायालय ने अपने फैसले का कारण बताते हुए कहा कि बहिषकार के आधार के रूप में कषेत्रीयता का उपयोग करना समस्या उत्पन्न कर सकती है क्योंकि यह क्रिकेट और इसकी लोकप्रयिता के विकास में इस तरह के संगठनों द्वारा कथि गए योगदानों और उनके इतहास को अनदेखा करता है ।

लोढ़ा समिति और सर्वोच्च न्यायालय के नथिमों में अंतर

- लोढ़ा समिति के अनुसार, एक कार्यकाल के बाद कूलगि-ऑफ पीरयिड का सुझाव दथि गया था जिसे न्यायालय द्वारा दथि गए फैसले के बाद अब लगातार दो कार्यकाल के बाद कर दथि जाएगा ।
- जहाँ लोढ़ा समिति के अनुसार, 'एक राज्य-एक मत' की सफ़ारिश की गई थी, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के सभी क्रिकेट संघों को पूर्ण सदस्यता प्रदान कथि जाने का नरिणय लथि है ।
- राज्यों से अलग कसिी क्रिकेट संघ को लोढ़ा समिति द्वारा पूर्ण सदस्यता देने से इनकार कथि गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के उपरांत रेलवे, सेना और भारतीय वशिवदथियालय आदि के क्रिकेट संघों को पूर्ण सदस्यता प्रदान की जाएगी ।
- लोढ़ा समिति की सफ़ारिशों के अनुसार, बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में पद का कार्यकाल कुल 9 वर्ष और आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई थी, जबकि न्यायालय द्वारा इन मुद्दों पर नरिणय लथि जाना अभी बाकी है ।